

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथा.

संख्या—402 / 1-2-2017-1(सामान्य) / 20.1

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1— समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
- 2— आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ।
- 3— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—2

०१ मई
लखनऊ: दिनांक अप्रैल, 2017

विषय:- एंटी भू-माफिया टार्स्क फोर्स स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में सरकारी / निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती है। इन प्रकरणों में समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण जहाँ जनमानस में शासन / प्रशासन के प्रति विश्वास में कमी आती है, वही भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। पूर्व में विभिन्न विभागों तथा इनकी अधिकारिता में आने वाले सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निकाय, प्राधिकरण / निगम / उपकम तथा ग्राम पंचायतों की भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाए जाने के संबंध में विरत्तत दिशा-निर्देश संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न किया जा रहा है। उपरोक्त स्थायी निर्देशों के बावजूद भी यह अनुभव किया गया है कि कतिपय प्रभावशाली एवं दबंग व्यक्तियों, विकासकर्ताओं, निर्माणकर्ताओं आदि द्वारा कहीं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर, कहीं स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से न केवल शासकीय भूमियों, बल्कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों, चैरेटेबिल ट्रस्टों, लावारिस सम्पत्तियों, गरीब निर्बल एवं कमजोर व्यक्तियों की निजी भूमियों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। शासकीय विभागों द्वारा तो फिर भी अपनी सम्पत्ति संरक्षित करने के लिए कार्यवाही कर ली जाती है परन्तु अन्य संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति को संरक्षित करने में अपने आप को असहाय महसूस किया जाता है तथा ऐसे दबंग व्यक्तियों का विरोध करने का साहस वे नहीं जुटा पाते हैं। प्रशासन स्तर से भी अपेक्षित

